326

बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक - प्र06-कि0 आ0-04/03- 2308 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 12.8.2

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना

विषय :- **किरासन तेल थोक विक्रेताओं को एक प्रतिशत (1%) लीकेज की सुविधा बंद करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 द्वारा थोक विक्रेताओं को कमीशन के अतिरिक्त एक प्रतिशत लीकेज दिये जाने की सुविधा समाप्त कर दी गयी थी । विभाग द्वारा कमीशन के अतिरिक्त एक प्रतिशत लीकेज की सुविधा बंद कर दिये जाने के विरूद्व किरासन तेल थोक विक्रेता संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 3862/03 दायर किया गया । सुनवाई के क्रम में सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त पत्र के आलोक में विभाग से निर्गत पत्र 1045 दिनांक 01.04.03 को संशोधित करते हुए थोक विक्रेताओं को 0.25 प्रतिशत भंडार क्षति/लीकेज की सुविधा देने सम्बन्धी पत्रांक 3134 दिनांक 24.09.03 माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्गत किया गया । लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.09.03 को पारित आदेश में इस सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है कि " It is therefore reiterated that the statement made in the order dated 24.09.03, that it was issued on the basis of direction of this court is incorrect". सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0 3862/2003 में दिनांक 25.09.03 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार किरासन डीलर्स एसोसियेशन, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन पर सुनवाई दिनांक 07.07.05 को की गयी । सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कागजातों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि किरासन तेल थोक विक्रेताओं को कमीशन के अतिरिक्त लीकेज की सुविधा देने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।

अतः विभागीय पत्रांक 3134 दिनांक 24.09.03 को वापस लेते हुये पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 को पुर्नबहाल किया जाता है जिसके अनुसार किरासन तेल थोक विक्रेताओं को भंडारण क्षति/लीकेज के रूप में कोई सुविधा देय नही है ।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 01.04.03 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय । अगर कोई थोक विक्रेता अवैध तरीके से लीकेज के रूप में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से तेल की कटौती करता है, तो उसके विरूद्व सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
अरूण झा 12.8.05
(अरूण झा)
सरकार के सचिव ।
12/8/05

sec_6